

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)

संख्या- मा० नि० -॥-३० यो०-४८ / २०१७-१८ / ३।७ / पत्ता, रौधी, दिनांक- २।।०३।०३।२२

शुद्धि-पत्र

योजना-सह-वित्त विभाग (मत्स्य प्रभाग), झारखण्ड, रौधी के संकाल्प न्य० २९१७ / ४८० दिनांक ३०.०९.२०१६, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के प्राक F.No.1(13)PFMS/FCD/2020 दिनांक 23.03.2021 के आलोक में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग), बास निगम रवीकृत्यांश सं० ५८ रा० (पि०) दिनांक २९.०३.२०२२ की कार्डिका-७ (क) में निर्धारित निकासी एवं व्यव की प्रक्रिया को निन रूप से प्रतिरक्षणीय किया जाता है—

“इस योजना के निकासी एवं व्यवन पदाधिकारी निदेशक, भवत्य निदेशालय, झारखण्ड, रौधी होगे तथा राशि की निकासी लोरण्डा कोषागार से की जायेगी। इस योजना के तहत रवीकृत्या / आवृत्ति राशि का व्यय भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राशि की विभुवित एवं उन्नुश्ववण हेतु घात, की गयी Public Financial Management System (PFMS) PFMS को नयी प्रक्रिया को अपनाते हुए PMMSY हेतु नामित SNA के खाते से इस योजना के नोडल एंजेसी NFDB को सौधे अथवा स्कॉर्ट निवारित किसी IA के व्यव से इस्तंत्रित किया जायेगा तथा इस सदर्भ में भारत सरकार के द्वारा सामय-सामय पर सम्मिलित रानी दिशा-निर्देशों का अनुभावन सुनिश्चित किया जायेगा।”

२. राज्यादेश संख्या- ५८ रा० (पि०) दिनांक-२९.०३.२०२२ की शेष शाहै यथावत रहेगी।

१० (अद्युपातकर सिद्धांश्व पी०)

सरकार के सचिव

संख्या-मा० नि० -॥-३० यो०-४८ / २०१७-१८ / ३।७ / पत्ता, रौधी, दिनांक ३।।०३।०३।२२

प्रतिलिपि :सहलेखाकार, झारखण्ड, रौधी / सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/निदेशक, भवत्य, झारखण्ड, रौधी / संयुक्त भवत्य निदेशक /उप भवत्य निदेशक (सभी) / प्रबंध निदेशक, झारखण्ड, रौधी / जिला भवत्य पदाधिकारी-सह-गुरुव राज्यपालक पदाधिकारी (सभी) / जिला भवत्य पदाधिकारी (सभी) / सहयुक्त भवत्य निदेशक, झारखण्ड, रौधी एवं युथ उनुदेशक, भवत्य किसान प्रविक्षण केन्द्र, रौधी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

संख्या-मा० नि० -॥-३० यो०-४८ / २०१७-१८ / ३।७ / पत्ता, रौधी, दिनांक ३।।०३।०३।२२
प्रतिलिपि वित्त विभाग (बजट शाखा)। झारखण्ड, रौधी / परीप लेखा पदाधिकारी, PFMS, झारखण्ड, रौधी / आ० वि० सहायकार, रौधी, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग /साधिय, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान भाग लादिव / सभी प्रांडलीय आपुकल / सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त / भाननीय विभागीय मन्त्री के प्रधान आज साधिय /युथ लादिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रौधी के साधिय को सूचनार्थ प्रेषित।

सरपार के सचिव